FORM-1

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector: Almora

No........................ Dated....10.11.2015........

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF) Government of india's letter No:-11-9/98-EC(pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and Other Traditional forest Dwellers (Recognitation of forest Rights, Act 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes read with MOEF.s letter dated 5th feb. 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that **0.983** hectares of forest land proposed to be diverted in favor of **Provincial Division P.W.D Almora Uttaratakhad for Construction of Khunt-Kakarighat Motor Road to Thath Gaon Link Motor Road under State Sector (4.00 Km.) Provincial Division P.W.D. (purpose for diversion of forest land) in Almora district falls within jurisdiction of Sarna, Jyur Village (s) in Almora tahsils.**

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out of the entire **0.983** hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultation and meetings of the forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s) Sub- Division Level committee (s) and District level committee are enclosed as annexure 1 to annexure.

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.

(c) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal groups and Pre-agricultural at communities.

Encl: As above

जिलाधिकारी, Signature

(Full name of the official seal of the District Collector) अल्मोड़ा

जिला समाज कल्याण अधिकारी
अल्मोड़ा

It is further certified that

S.No.		Remarks
(a)	The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the entire **0.983** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee (s) and the District level Committee are enclosed as annexure I to annexure.	[illegible] as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers.
(b)	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been complete and the Gram Sabhas have given their consent to it.	[illegible] as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers there is no objection certificate of concerned motor road is affixed in the forest file
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

Encl: As above

Signature

जिलाधिकारी अल्मोड़ा

(Full name of the official seal of the District Collector)

जिला समाज कल्याण अधिकारी
अल्मोड़ा

1.6B

ANNEXURE-1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT ALMORA (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional Forest Dwellers (recognition of rights) Act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Almora district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr. Savin Bansal, I.A.S., Deputy commissioner, Almora of date 1:30 P.M at time 10:11:2015. at Almora in which application claiming rights **Toli area measuring 0.983 hect. for the Construction of Khunt-Kakarighat Motor Road to Thath Gaon Link Motor Road under State Sector (4.00 Km.)** of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Almora sub division were discussed to consider the same of admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committees recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Almora

Dated:

जिला समाज कल्याण अधिकारी
अल्मोड़ा

Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committee.

जिलाधिकारी
अल्मोड़ा

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नाम :– जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत खूँट–काकड़ीघाट मोटर मार्ग से ठाठ ग्राम तक लिंक मोटर मार्ग। लम्बाई–4.00 किमी0।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, अल्मोड़ा

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत
प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, अल्मोड़ा

उपखण्ड **अल्मोड़ा** परिक्षेत्र के अन्तर्गत **जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत खूँट–काकड़ीघाट मोटर मार्ग से ठाठ ग्राम तक लिंक मोटर मार्ग। लम्बाई–4.00 किमी0।** (**0.00है0** आरक्षित वन भूमि, **0.983 है0** सिविल एवं सोयम वन भूमि **0.00है0** वन पंचायत भूमि, अर्थात **कुल 0.983 है0** वन भूमि) का **प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा** प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील **अल्मोड़ा**) की दिनांक 10.09.2015 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक **श्रीमती** रिंकू बिष्ट, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– **श्री**मती रिंकू बिष्ट, उपजिलाधिकारी,अल्मोड़ा–अध्यक्ष
2– **श्री** भूपाल सिंह नेगी उप प्रभागीय वनाधिकारी, उप प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल सोयम, वन प्रभाग, अल्मोड़ा–सदस्य
3– श्री शैलेन्द्र पाँडे सहायक समाज कल्याण अधिकारी सदस्य/सचिव
4– श्रीमती गंगा देवी बी0डी0सी0 क्षेत्र ज्यू. कफून सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि **जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत खूँट–काकड़ीघाट मोटर मार्ग से ठाठ ग्राम तक लिंक मोटर मार्ग। लम्बाई–4.00 किमी0।** परियोजना हेतु .0.420है0 वन भूमि **प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा** प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, **सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा** द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पश्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का

दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अत प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड **अल्मोड़ा** परिक्षेत्र के अन्तर्गत **जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत खूँट–काकड़ीघाट मोटर मार्ग से ठाठ ग्राम तक लिंक मोटर मार्ग। लम्बाई–4.00 किमी0।** परियोजना के निर्माण हेतु **0.983 हे0** वन भूमि **प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा** प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अक्षयक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–अल्मोड़ा
जनपद–अल्मोड़ा।

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अक्षयक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–अल्मोड़ा
जनपद–अल्मोड़ा।

परियोजना का विवरणः– जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत खूँट काकड़ीघाट मोटर मार्ग से ठाठ ग्राम तक लिंक मोटर मार्ग लम्बाई 4.00 कि0मी0

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम–

तहसील व जिला–अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड के **जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत खूँट काकड़ीघाट मोटर मार्ग से ठाठ ग्राम तक लिंक मोटर मार्ग लम्बाई 4.00 कि0मी0** हेतु **0.983 है0** वन भूमि, का लोक निर्माण विभाग विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत डोबा द्वारा दिनांक 03.09.2015 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृशि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम **डोबा** के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा (प्रयोक्ता एजेन्सी) को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

प्रधान
ग्राम पंचायत डोबा
वि० ख० हवालबाग
ग्राम प्रधान

दिनांक 03.09.2015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत डोबा

क्रम सं0	ग्रामवासियों का नाम	हस्ताक्षर
1	राम सिंह	
2	मनोहर सिंह	
3	प्रताप सिंह	
4	उमेद सिंह	
5	राम सिंह	
6	हरीश सिंह	
7	गजेन्द्र सिंह	
8	गजे सिंह	
9	बची सिंह	
10	धन सिंह	
11	मदन सिंह	
12	भुवन सिंह	
13	चन्दन सिंह	
14	श्याम सिंह	
15	पान सिंह	
16	पूरन सिंह	
17	विक्रम सिंह	
18	दौलत सिंह	
19	यशवन्त सिंह	
20	नन्दन सिंह	
21	कुँवर सिंह	
22	रणजीत सिंह	
23	दुर्गा सिंह	

[illegible signature]

प्रधान
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत डोबा
वि० ख० हवालबाग
जिला – अल्मोड़ा

परियोजना का विवरणः— जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत खूँट काकड़ीघाट मोटर मार्ग से ठाठ ग्राम तक लिंक मोटर मार्ग लम्बाई 4.00 कि0मी0

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण—पत्र

ग्राम पंचायत का नाम— डोबा

तहसील व जिला—अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड के **जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत खूँट काकड़ीघाट मोटर मार्ग से ठाठ ग्राम तक लिंक मोटर मार्ग लम्बाई 4.00 कि0मी0** हेतु **0.983 है0** वन भूमि, का लोक निर्माण विभाग विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत डोबा द्वारा दिनांक 04.09.2015 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन् भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृशि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम **सरण** के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा (प्रयोक्ता एजेन्सी) को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम प्रधान

प्रधान
ग्राम पंचायत डोबा
वि० ख० हवालबाग
जिला–अल्मोड़ा।

दिनांक 04.09.15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत डोबा

क्रम सं0	ग्रामवासियों का नाम	हस्ताक्षर
1	गोपाल सिंह	
2	राम सिंह	
3	रवीन्द्र सिंह	
4	हर सिंह	
5	चन्दन सिंह	
6	जोगा सिंह	
7	फकीर राम	
8	चन्दन राम	
9	डूंगर सिंह	
10	गोपाल राम	
11	कुंवर राम	
12	प्रयाग दत्त	
13	रमेश राम	
14	रघुवर	
15	प्रेम राम	
16	धन सिंह	
17	गोपालवार	

प्रधान [signature] डोबा

ग्राम प्रधान

परियोजना का विवरणः– जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत खूँट काकड़ीघाट मोटर मार्ग से ठाठ ग्राम तक लिंक मोटर मार्ग लम्बाई 4.00 कि0मी0

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम– जूड़ कफून

तहसील व जिला–अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड के **जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र** सोमेश्वर के **अन्तर्गत खूँट काकड़ीघाट मोटर मार्ग से ठाठ ग्राम तक लिंक मोटर मार्ग** लम्बाई **4.00 कि0मी0** हेतु **0.983 है0** वन भूमि, का लोक निर्माण विभाग विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत जूड़ कफून द्वारा दिनांक 05.09.2015 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृशि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम **ठाठ** के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा (प्रयोक्ता एजेन्सी) को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम प्रधान

[signature]

प्रधान

ग्राम पंचायत जूड़ कफून

वि०ख०-हवालबाग (अल्मोड़ा)

दिनांक 05.09.15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत जूड़ कफून

क्रम सं0	ग्रामवासियों का नाम	हस्ताक्षर
1	रमेश राम	
2	बची राम	
3	गोपाल राम	
4	कपिल राम	
5	कुन्दन राम	
6	नन्दन राम	
7	रमेश राम	
8	किशोर राम	
9	गोपाल सिंह	
10	सतीश राम	
11	सुन्दर राम	
12	मनोहर राम	
13	गोविन्द राम	
14	नारायण राम	

ग्राम प्रधान

प्रधान
ग्राम पंचायत जूड कफून
वि०ख०-हवालबाग (अल्मोड़ा)